File No. FIN7-B/1/1/2022-XXVII-7-Finance Department (Computer No. 22807) 37003/3022

 $\checkmark$ 

उत्तराखण्ड शासन वित्त (साठनि०-वेठआठ)अनुमाग-7 संख्या- / XXVII(7)02/2016 देहरादून: दिनांक: 7 मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति। Government of Uttarakhand Finance (G.R-P.C.) Section-7 No- /XXVII(7)02/2016 Dehradun: Dated 3 | May, 2022

## Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is not revised according with the recommendation of the 7<sup>th</sup> pay Commissions.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में w.e.f. 01-01-2022 @ 203% instead of 196% पुनरीशित नहीं की गयी है, को वित्त विमाग के कार्यालय ज्ञाप superseding the earlier rates as is sanctioned vide this संख्या-329 / XXVII(7)02 / 2016 दिनांक 29 दिसम्बर. 2021 Office Memorandum No. 329/XXVII(7)02/2016 Dated द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिकमित करते हुए 29 December, 2021 for those pensioners whose pension दिनांक 01-01-2022 से 196 प्रतिशत के स्थान पर 203 is not revised according with the recommendation of the प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री 7<sup>th</sup> pay Commissions . राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. यह आदेश माठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अच्यक्ष तथा सदस्यों, 3. These orders will not be applicable to the उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अच्यक्ष तथा सदस्यों, 3. These orders will not be applicable to the स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family सिविल/पारिवारिक पॅशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके Pensioners of local bodies and Public Undertaking सम्बन्ध में सम्बन्धित विमागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

4. These order will also be applicable to such 4. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विमाग teaching and non-teaching pensioners of Institutions के अचीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के aided from State under the Education/Technical ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के Education Department whose Pension/Family Pension is समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है. पर भी लागू at par with the pensioners of the State Government. होंगे।

5. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief /दस/10(3)-81, दिनॉक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत admissible under, this O.M. आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के मुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का मुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

 Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders
मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य shall remain applicable as usual.
प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे. यथावत लागू रहेंगे।

(सौजन्या)

(Sowjanya)

-ienerated from eOffice by DINESH RAM, RO-FINANCE-DR, RO-FINANCE, Finance Department on 31/05/2022 04:58 PM

No. FIN7-B/1/1/2022-XXVII-7-Finance Department (Computer No. 22807

सचिव।

022

## Secretary.

<u>संख्या- (1)/XXVII(7)02/2016. तद्दिनांक। No (1)/XXVII(7)02/2016. the dated.</u> प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही Copy forwarded to following for information हेतु प्रेषित।

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियॉं इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियॉ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव. उत्तराखण्ड शासन।
- 3. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/ उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग—7. उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 10. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।

- Accountant General Uttrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- All Additional Chief Secretaryies / Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 3. Principal Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand.
- Director, Departmantal Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand.